

20-12-24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थिगण के नाम से अलग अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थिगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम टाजिरी' में रवारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दारखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

दीदी  
20/12/24

